



2026:AHC:17539

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 873 वर्ष 2026

अशोक कुमार सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: बिभूति नारायण सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.एन. सिंह और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार की बात सुनी।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि यद्यपि याचिकाकर्ता 30.03.2021 को पुलिस रेडियो के हेड ऑपरेटर के पद से सेवानिवृत्त हो गया था, फिर भी उसके 8,16,569 रुपये के कुछ चिकित्सा बिल बकाया हैं, जिनका भुगतान नहीं किया गया है।
3. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के दावे की जांच सर्वप्रथम प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा की जानी चाहिए।
4. बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति प्रतिपक्षी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करे, जिस पर प्रतिपक्षी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

27 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)